



2026:AHC:65080

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 12442 वर्ष 2026

संजीव कुमार मौर्या @ संजीव कुमार और अन्यआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्यविपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : भारत भूषण, सौरभ पॉल

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया।
2. यह आवेदन वाद संख्या 814/2024 (राज्य बनाम संजीव कुमार मौर्या और अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 0728/2023 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 506 के तहत, पुलिस स्टेशन-बरदारी, जिला-बरेली में दर्ज जो की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 1, बरेली की अदालत में लंबित है साथ ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 1, बरेली द्वारा पारित आरोपपत्र संख्या 16/2024 दिनांक 01.01.2024 और दिनांक 03.04.2024 के संज्ञान/समन आदेश के साथ, संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है ।
3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ संज्ञान/समन आदेश और आरोपपत्र को भी चुनौती दी है, ठीक इस आधार पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2024 10 एससीसी 690) के मामले में स्थापित विधि के अनुसार आईपीसी की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 420 और 406 (अर्थात बीएनएस की धारा 318(4) और 316(2)) एक साथ लागू नहीं की जा सकती। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:-

“38. हमारी राय में, परिवाद को सीधे पढ़ने से ऊपर उल्लिखित किसी भी तत्व का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। पुलिस और निचली अदालतों के मन में कानून की गंभीर गलतफहमी को दूर करने के उद्देश्य से हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यदि परिवादी का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तहत परिभाषित आपराधिक विश्वासघात का अपराध किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय है, तो उसी क्षण यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने आईपीसी की धारा 415 में परिभाषित और स्पष्ट किए गए धोखाधड़ी के अपराध को भी अंजाम दिया है, जो आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय है।

41. मात्र अनुबंध उल्लंघन और आपराधिक विश्वासघात एवं धोखाधड़ी के बीच अंतर सूक्ष्म है। धोखाधड़ी के मामले में, प्रलोभन देते समय आरोपी के इरादे की जांच की जानी चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाद का आचरण एकमात्र मापदंड नहीं है। मात्र अनुबंध उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता जब तक कि लेन-देन की शुरुआत से ही कपटपूर्ण या बेईमान इरादा प्रदर्शित न हो, अर्थात् अपराध घटित होने के समय से। इसलिए, यही इरादा अपराध का मूल तत्व है।

43. आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी में अंतर है।

धोखाधड़ी के मामले में, झूठा या भ्रामक बयान देते समय यानी शुरुआत से ही आपराधिक इरादा होना आवश्यक है। आपराधिक विश्वासघात के मामले में, केवल संपत्ति सौंपे जाने का प्रमाण ही पर्याप्त होता है। इस प्रकार, आपराधिक विश्वासघात के मामले में, अपराधी को वैध रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और वह बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है। जबकि, धोखाधड़ी के मामले में, अपराधी कपटपूर्ण या बेईमानी से किसी व्यक्ति को धोखा देकर उससे कोई संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ मौजूद हो सकते हैं।

55. अब समय आ गया है कि देशभर के पुलिस अधिकारियों को कानून का उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के बीच सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और भिन्न हैं। एक ही स्थिति में ये दोनों अपराध एक साथ नहीं हो सकते। वे एक दूसरे के विपरीत हैं। आईपीसी (अब बीएनएस, 2023) के ये दोनों प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि एक दूसरे के बिना अस्तित्व में न रह सकें।”

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए कानून के स्थापित सिद्धांत पर विवाद करने में असमर्थ हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. चूंकि आवेदक की ओर से केवल कानूनी तर्क ही उठाया गया है, इसलिए विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को यहाँ समाप्त किया जाता है।

6 अतः आवेदन वाद संख्या 814/2024 (राज्य बनाम संजीव कुमार मौर्या और अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 0728/2023 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 506 के तहत, पुलिस स्टेशन-बरदारी, जिला-बरेली, द्वारा पारित संज्ञान/समन आदेश को केवल आवेदक के संबंध में रद्द किया जाता है। मामले को सक्षम न्यायालय के समक्ष वापस भेजा जाता है ताकि वे दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत के आलोक में, यदि आवश्यक हो, तो अपराध का संज्ञान लेने का नया आदेश पारित कर सकें।

7. तदनुसार, यह आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

28 मार्च, 2026

के.एन.